राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 18 मार्च, 2025

सं. प.12(91)वित्त/कर/2019–123:– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. प.12(91)वित्त/कर/2019–123 दिनांक 16.03.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, 16 मार्च, 2025

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–1 में 17.03.2025 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:–

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–1 में,–

(i) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "7.5" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "7.5" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(91)वित्त/कर/2019–123]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को इस अधिसूचना को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान)।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, वित्त (कर)।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव